मुंबई पोर्ट ट्रस्ट

(सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सानुग्रह अनुदान निवृत्तिवेतन की मंजूरी अधिनियम, 1977)

.....

अ नु क्र म णि का

अधिनियम			पन्ना
01.	संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ	.....	
02.	परिभाषाएँ	.....	
03.	विस्तार/लागू करने की सीमा	.....	
04.	सानुग्रह अनुदान निवृत्ति वेतन की राशि	.....	
05.	पुनः रोजगार की अवधि के दौरान सानुग्रह अनुदान निवृत्ती वेतन (पेन्शन) देय न होना	.....	
06.	सानुग्रह अनुदान पेन्शन के लिए आवेदन और मंजूरी	.....	
07.	सानुग्रह अनुदान का अभिलेख (रेकॉर्ड)	.....	
08.	भुगतान की पध्दति	.....	
09.	अर्थनिर्णय	.....	
10.	रद्द करना और बनाए रखना	.....	

मुंबई पोर्ट ट्रस्ट
(सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सानुग्रह अनुदान पेन्शन की मंजूरी अधिनियम, 1977)

.....

मेजर पोर्ट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 (1963 का 63) की धारा 28 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए ओर मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के निवृत्त कर्मचारियों को सानुग्रह अनुदान पेन्शन के भुगतान नियमों को बरखास्त करके मुंपोट्र का विश्वस्त मंडल उपरोक्त अधिनियम के 124 की उप-धारा (1) के अंतर्गत केंद्र सरकार के अनुमोदन से निम्न विनियम* बनाता है, जो है :-

1. <u>संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ -</u>

   (1) इन विनियमों को मुंबई पोर्ट ट्रस्ट (निवृत्त कर्मचारियों को सानुग्रह अनुदान पेन्शन) विनियम, 1977 कहा जाय.

   (2) विनियम 4 के उप - विनियम (2) के प्रावधान उस उप-विनियम में उल्लिखित दिनों से लागू माने जाएंगे और शेष प्रावधान जनवरी, 1973 के पहले दिन से लागू माने जाएंगे.

2. **<u>परिभाषाएँ</u>** - इन अधिनियमों में जबतक प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो, तबतक-

   (1) "लेखाधिकारी" से तात्पर्य मंडल के मुख्य लेखाकार और मंडल के लेखा विभाग के अधिकारी जो मुख्य लेखाकार द्वारा इन विनियमों के अधीन किए गए दावों के निपटान के लिए नामित हो.

   (2) "मंडल" और "अध्यक्ष" के क्रमशः वही अर्थ अभिप्रेत हैं जो प्रमुख बंदरगाह अधिनियम 1963 (1963 का 38) में अभिप्रेत है.

**मंडल द्वारा उनके दिनांक 8.3.77 के वि.सं.सं.88 तथा नौवहन और परिवहन मंत्रालय की दिनांक 1 अगस्त 1977 की अधिसूचना सं.पीइबी-26/77 के द्वारा मंजूरी दी गई.*

(3) "सानुग्रह अनुदान पेन्शन" का अर्थ इन विनियमों के अधीन लागू सानुग्रह अनुदान पेन्शन से है.

(4) "वेतन" का अर्थ वही है जो मुंपोट्र के वेतन, भत्ते, छुट्टियाँ व निवृत्ति वेतन नियमों के संग्रह के 9 वे संस्करण के अनुच्छेद 11 (11) में परिभाषित है (महँगाई भत्ता सम्मिलित करते हुए) जो निवृत्ति के या मंडल की सेवाओं से त्यागपत्र देने के तुरंत पहले कर्मचारी को प्राप्त होता था.

<u>स्पष्टीकरण</u> - यदि कर्मचारी अपनी सेवानिवृत्ति के अथवा मंडल की नौकरी से त्यागपत्र देने के ठीक पहले छुट्टीपर था, (निवृत्ति की आयु तक पहुँचने पर अंतिम सेवा समाप्ति के पहले ली जाने वाली निवृत्तिपूर्व छुट्टी को छोडकर) तो इस उपविनियम के हेतु वही उसका वेतन माना जाएगा, जो अगर वह छुट्टी पर न होता, उसे मिलता/प्राप्त होता.

3. <u>व्याप्ति/वित्तार</u> -

(1) <u>सानुग्रह अनुदान</u> पेन्शन उस प्रत्येक कर्मचारी को लागू होगा जो मंडल की अंशदायी (कॉंट्रीब्युटरी) भविष्य निधि योजना में था, और-

क) जो कम से कम 20 साल की अविरत सेवा पूर्ण करके 5 अक्तूबर 1965 के पहले मंडल की सेवा से निवृत्त हुआ था,

ख) जिसने लगातार सेवा के कम से कम 30 वर्ष पूरे करने के बाद 5 अक्तूबर 1965 से पहले मंडल की सेवा से त्यागपत्र दिया हो.

(2) सानुग्रह अनुदान पेन्शन निम्न को लागू नहीं है -

क) वह कर्मचारी जो मंडल की सेवा से 5 अक्तूबर 1965 से पहले निलंबित किया गया हो/हटाया गया हो/सेवामुक्त कर दिया गया हो,

ख) वह कर्मचारी जिसने सेवा के 30 साल पूरे किए बगैर 5 अक्तूबर 1965 के पहले मंडल की सेवा से त्यागपत्र दे दिया हो,

ग) वह कर्मचारी जो 5 अक्तूबर 1965 को या उसके बाद सेवानिवृत्त हुआ/जिसकी सेवा समाप्त हो गई.

4. <u>सानुग्रह अनुदान पेन्शन की राशि</u> - (1) सानुग्रह अनुदान पेन्शन की राशि निम्न तालिका में दर्शाई गई समुचित राशि होगी :

कर्मचारी का वेतन *(रुपयों में)*	सानुग्रह अनुदान पेन्शन की राशि *(प्रति माह रुपयों में)*
(1)	(2)
80 और उससे कम	40.00
80 से 130 तक	42.50
130 से 200 तक	45.00
200 से ऊपर और 500 तक	53.50

*(2) सानुग्रह अनुदान पेन्शन की राशि में वृध्दि नीचे दर्शाई गई "ॲप्रॉप्रिस्ट" राशि के अनुसार की जाएगी. यह वृध्दि दिनांक 01 अगस्त 1973, 01 जनवरी 1974, 01 अप्रैल 1977, 01 सितंबर 1977, 01 दिसम्बर 1978, 01 नवम्बर 1979, 01 मई 1980, 01 सितम्बर 1980 और 01 दिसम्बर 1980 से लागू होगी.

सानुग्रह अनुदान पेन्शन की राशि में वृध्दि *(प्रति माह रुपयों में)*				
लागू होने की तिथि	कर्मचारी का वेतन *(रुपयों में)*			
	80 और उससे कम	80 से 130 तक	130 से 200 तक	200 से 500तक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01.08.1973	5	5	5.50	9
01.01.1974	5	5	5.50	9

**के बदले निम्न लिया गया है -*

वि.सं.सं.

23 दिनांक 24.01.1978 पीईबी-13/78 दि.31.05.78 01.10.75 व 01.04.1977
70 दिनांक 27.02.1979 पीईबी-27/79 दि.21.09.79 01.09.1977
138 दिनांक 10.06.1980 पीडब्ल्यू/पीईबी 68/80 दि.6.2.81 01.12.1978
73 दिनांक 24.02.1981 पीडब्ल्यू/पीईबी-33/81दि.16.7.81 01.11.79 व 01.05.80
292 दिनांक 14.09.1981 पीडब्ल्यू/पीईबी-56/81दि.23.3.82 01.09.1980

सानुग्रह अनुदान पेन्शन की राशि में वृध्दि *(प्रति माह रुपयों में)*				
लागू होने की तिथि	कर्मचारी का वेतन *(रुपयों में)*			
	80 और उससे कम	80 से 130 तक	130 से 200 तक	200 से 500 तक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01.04.1974	5	5	5.50	9
01.10.1975	10	10	11.00	18
04.04.1977	5	5	5.50	9
01.09.1977	5	5	5.50	9
01.12.1978	5	5	5.50	9
01.11.1979	5	5	5.50	9
01.05.1980	5	5	5.50	9
01.09.1980	5	5	5.50	9
*(01.12.1980	2.50	2.50	2.75	4.50)

**((2ए) xxx xxx xxx)

***((3) सानुग्रह अनुदान पेन्शन में अगली राहत (रिलिफ) उस दर और उस तिथि से दी जाएगी, जो दर और तिथि केंद्र सरकार द्वारा उसके सानुग्रह अनुदान पेन्शनरों के लिए समय-समय पर निश्चित की जाएगी.

---

1. *जलभूतल परिवहन मंत्रालय के दिनांक 23.03.1982 के पत्र क्र.पीडब्ल्यू/पीइबी-56/81 द्वारा शामिल.*

2. *दि. 27.02.1979 के वि.सं.सं. 70 और दि. 21.09.1979 की जलभूतल परिवहन मंत्रालय की अधिसूचना क्र.पीइबी-27/79 के अनुसार शामिल किया गया और बाद में जलभूतल परिवहन मंत्रालय की दिनांक 06.02.1981 की अधिसूचना क्र.पीडब्ल्यू/पीइबी-68/80 द्वारा निकाल दिया गया.*

3. *जलभूतल परिवहन मंत्रालय के दिनांक 18.06.1982 के अर्धशासकीय पत्र क्र.पीडब्ल्यू/पीइबी-56/81 द्वारा शमिल.*

5. पुन: रोजगार/नौकरी की अवधि के दोरान सानुग्रह अनुदान पेन्शन लागू नहीं - यदि प्राप्त कर्ता मंडल की सेवा में दुबारा लगा हो, तो उसे उस अवधि के लिए सानुग्रह अनुदान पेन्शन मंजूर नहीं की जाएगी.

6. सानुग्रह पेन्शन का लागू होना और उसकी मंजूरी - पेन्शन के लिए आवेदन, सेवा का सत्यापन, पेन्शन कागजात बनाना, पेन्शन भुगतान आदेश जारी करना जीवित प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना ... आदि के लिए जो पध्दतियाँ मुंपोट्र निवृत्ति वेतन नियमों में निर्धारित की गई हैं, वे पध्दतियाँ इन विनियमों के अंतर्गत प्रदान किए जाने वाले सानुग्रह अनुदान पेन्शन के लिए आवश्यक परिवर्तनसहित लागू होगी.

7. सानुग्रह अनुदान पेन्शन रिकार्ड - लेखाधिकारी इन विनियमों के अंतर्गत प्रदान किए गए सभी सानुग्रह अनुदान पेन्शन का ठीक प्रकार से रिकार्ड रखेंगे.

8. भुगतान की पध्दति - किसी एक महीने के एि देय सानुग्रह अनुदान पेन्शन महीने के प्रथम दिवस पर या उसके बाद लेखाधिकारी के कार्यालय सेय देय होगी यदि पेन्शनर अपनी सानुग्रह अनुदान की राशि डाक मनिऑर्डर से प्राप्त करना चाहता है, तो उसे वह राशि मनिऑर्डर द्वारा भेजी जाएगी और उसका प्रेषण खर्च मंडल द्वारा किया जाएगा.

9. अर्थनिर्णय - इन विनियमों के अर्थनिर्णय के संबंध में यदि कोई प्रश्न उठता है, तो मामला अध्यक्षजी के पास जाएगा और उसपर उनका निर्णय अंतिम रहेगा.

10. रद्द करना और बनाए रखना - इन विनियमों के अनुरुप और इन विनियमों के आरंभ से तुरंत पहले प्रचलित सभी आदेश एतद्वारा रद्द किए जाते हैं.

बशर्ते कि इस प्रकार रद्द किए गए आदेशों के अंतर्गत दि गए किसी आदेश या की गई किसी कार्यवाही के संबंध में यह माना जाएगा कि वह आदेश/वह कार्यवाही इन नए विनियमों के अनुरुप प्रावधानों के अंतर्गत ही दिया गया या/की गई थी.

****

कृमोसा/penregu